

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3250-दो/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 02-06-2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 राजपुर अशोकनगर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 34/अ-12/2015-16.

सरदार सिंह पुत्र श्री काबल सिंह
निवासी ग्राम खड़ीचरा तहसील व जिला
अशोकनगर म0प्र0 हाल निवासी-122
लेखसिटी कालोनी अशोकनगर म0प्र0

आवेदक

विरुद्ध

दिमान पुत्र मिठुआ
ग्राम खड़ीचरा तहसील व जिला
अशोकनगर म0प्र0

..... अनावेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/04/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 राजपुर तहसील व जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-6-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक दिमान द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष ग्राम खड़ीचरा स्थित भूमि खसरा ग्राम 11/2ख/2 रकवा 0.667, सर्वे क्र 11/4 रकवा 0.238 सर्वे नं 88/2 रकवा 1.247 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 02-6-16 के

✓

द्वारा सीमांकन आदेश दिये। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष स्वयं की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन करने के निर्देश दिये जिसपर दिनांक 02-6-16 को सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाकर निशानात कायत करावाये व चतुर्थ सीमाओं का पत्थर व चारों मेडे समझाई गई। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन की पुष्टि की। सीमांकन में किसी सरहदी कास्तकार के द्वारा अनावेदक की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है। जहां तक आवेदक द्वारा सीमांकन पर उठाई गई आपत्तियों का प्रश्न है आवेदक ने भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह सीमांकित की गई भूमियों का सरहदी कास्तकार होकर हितबद्ध पक्षकार है और उसे सूचना नहीं दी गई। आवेदक यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि वह प्रश्नाधीन सीमांकन से किस प्रकार हितबद्ध है, अतः आवेदक अभिभाषक के तर्क मान्य योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। यदि आवेदक चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक वृत-3 राजपुर तहसील अशोकनगर का आदेश दिनांक 02-6-2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस०एस० अली)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर